समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक............/जि0रा0, दिनांक.........../........./ 2018

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,
किशनगंज।

विषय :: वर्ष 2018–19 के लिए अप्रैल श्रेणी के हाट बाजार/ घाट सैरातों की बन्दोवस्ती हेतु आम सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक किशनगंज जिला अन्तर्गत अप्रैल श्रेणी के हाट बाजार/ घाटों की वर्ष 2018–19 के लिए बन्दोबस्ती से संबंधित समाहर्त्ता, किशनगंज के हस्ताक्षरित आम सूचना की छः प्रतियाँ सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न आम सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में (जिसमें एक हिन्दी एवं एक उर्दू (कोशी संस्करण) एकान्तर तिथियों में अपने स्तर से ससमय कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– 1. सी0डी0–एक अद्द।
2. आम सूचना की प्रति–छः अद्द।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 137 /जि0रा0, दिनांक 29 / 01 / 2018

प्रतिलिपि :: सभी अंचल अधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला को अनुलग्नक की प्रति के साथ वृहत प्रचारार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी निदेश दिया जाता है कि अबन्दोबस्त सैरातों की बंदोवस्ती हेतु अपने स्तर से समुचित प्रयास कर निर्धारित तिथियों को इसकी बन्दोवस्ती राजस्वहित में सुनिश्चित करायें।

प्रतिलिपि :: आई0टी0 मैनेजर, किशनगंज को जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त, किशनगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज / जिला मत्स्य पदाधिकारी, किशनगंज को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी समाहर्त्ता, बिहार, को निदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: आयुक्त के सचिव पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

D/Chatterjee/Shairat/Ashok/Letter.doc

समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

–:: आम सूचना ::–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19 के लिए किशनगंज जिला अन्तर्गत अप्रैल श्रेणी के निम्नलिखित राजस्व हाट/ घाट सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक–**09.02.2018** को **02.00** बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक की जायगी। निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः वैसे सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि को बन्दोबस्ती की जायेगी :–

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अंचल का नाम	डाक की निर्धारित तिथि		
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	7
01	बहादुरगंज राजस्व हाट	2,61,050.00	बहादुरगंज	09.02.2018	13.02.2018	16.02.2018
02	लोहागाड़ा राजस्व हाट	8,91,250.00	बहादुरगंज			
03	निशन्द्र घाट	93,150.00	बहादुरगंज			
04	लौचा घाट	4,91,050.00	बहादुरगंज			
05	सतमेढ़ी घाट	2,01,825.00	बहादुरगंज			
06	हरिभाषा घाट	90,666.00	बहादुरगंज			
07	खगड़ा हाट एवं गुदरी	22,44,000.00	किशनगंज			
08	आलमगंज हाट	3,39,250.00	किशनगंज			
09	विशनपुर राजस्व हाट	10,35,000.00	कोचाधामन			
10	बड़बट्टा राजस्व हाट	3,57,075.00	कोचाधामन			
11	टप्पू राजस्व हाट	1,47,775.00	दिघलबैंक			
12	हरूआडांगा राजस्व हाट	2,73,700.00	दिघलबैंक			
13	दिघलबैंक राजस्व हाट	3,18,723.00	दिघलबैंक			
14	कंचन बाड़ी घाट	52,900.00	दिघलबैंक			
15	पलसा घाट	55,200.00	दिघलबैंक			
16	छत्तरगाछ हाट	8,05,000.00	पोठिया			
17	बलदिया माली घाट	71,185.00	पोठिया			
18	बागरानी मिर्जापूर घाट	1,32,911.00	पोठिया			
19	पाठामारी राजस्व हाट	1,01,200.00	ठाकुरगंज			
20	झोड़ाबासन डुब्बा घाट	1,78,538.00	ठाकुरगंज			
21	चमारमनी घाट	70,886.00	ठाकुरगंज			
22	पाठामारी घाट	1,01,833.00	ठाकुरगंज			
23	फुलबड़िया राजस्व हाट	3,49,600.00	टेढ़ागाछ			
24	मटियारी राजस्व हाट	9,32,363.00	टेढ़ागाछ			
25	मटियारी घाट	8,74,000.00	टेढ़ागाछ			
26	बीबीगंज घाट	50,600.00	टेढ़ागाछ			
27	दिघलबैंक जलकर का सुखा भाग	खुली डाक	दिघलबैंक			

डाक की शर्तें निम्न प्रकार है :-

- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमंडल/अंचल/संबंधित नगर निकायों से बकाया रहित प्रमाण–पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण–पत्र/ निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- किसी भी हाट/घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके निकट संबंधी भाई, भतीजा, पुत्र/पुत्री को भी डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बन्दोवस्ती वर्त्तमान में स्थित राजस्व हाट की जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायगी।
- हाट/घाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ–सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट/घाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट/घाट में किसी राजनीति सभा नहीं की जायगी।
- सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निमार्ण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
- हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
- बाढ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।
- किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/ स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/बन्दोबस्तदार की होगी।
- संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- घाट लेसी को 24 घण्टे दो बड़ी नावों को घाटों पर लगानी होगी तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली नहीं करनी होगी। नावों की क्षमती के अधिक एक भी यात्री को किसी भी परिस्थिति में नाव में सवार नहीं कराया जायेगा अन्यथा घाट लेसी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- घाट लेसी को डाक में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से संबंधित प्रमाण–पत्र संबधित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर देनी होगी।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोबस्ती अस्वीकृत/ रद्द करने अथवा हाट की नीलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
- डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क / निबंधन शुल्क (बन्दोवस्त राशि का 5% निबंधन शुल्क एवं 5% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सैरात बन्दोवस्ती के संबंध में कोई भी जानकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि में जिला राजस्व प्रशाखा एवं किशनगंज जिला के बेवसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

27/04/18

स मा ह र्त्ता,
किशनगंज।